निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज.)

प्रकरण संख्या 32/2020 (रसद अपील)

रामफूल मीणा पुत्र श्री भुवाना मीणा, प्राधिकारधारक उचित मूल्य दुकान संख्या 287–ए, जयपुर शहर जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश दिनांक 07.09.2020 जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 614/2020 एवं 520/2020 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान संख्या 287–ए जयपुर शहर का प्राधिकार पत्र आदेश दिनांक 07.09.2020 से निरस्त कर धरोहर राशि जब्त सरकार करने तथा प्रकरण संख्या 520/2020 मैसर्स अनुपम ट्रेडर्स के नाम 1350/– रूपये राजकोष में जमा किये जाने के आदेश पारित किये गये।

उपस्थित :–

1. श्री के॰ डी॰ शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 04.03.2021

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी रामफूल मीणा प्राधिकारधारक उचित मूल्य दुकानदार दुकान संख्या 287–ए, जयपुर शहर का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के आदेश दिनांक 07.09.2020 से निरस्त कर धरोहर राशि जब्त सरकार करने एवं प्रकरण संख्या 520/2020 मैसर्स अनुपम ट्रेडर्स के नाम से 1350/–रूपये राजकोष में जमा कराने के आदेश से व्यथित हो कर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान संख्या 287–ए, जयपुर शहर का प्राधिकारधारक है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतदपश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के तहत प्राधिकार पत्र संख्या 1156/12 मिला हुआ है, साथ ही अप्रार्थी के आदेश द्वारा अस्थाई तौर पर मैसर्स अनुपम ट्रेडर्स के नाम से संचालित उचित मूल्य दुकान संख्या 288, जयपुर शहर को भी अपीलार्थी की उक्त दुकान नम्बर 287–ए के साथ अटैच कर दी गई। अपीलार्थी

जिला कलक्टर
जयपुर

उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो व निर्बन्धनों तथा केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधिसूचित आदेशों एवं सक्षम अधिकारियो के निर्देशानुसार खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ, जो विभिन्न योजनाओं के तहत अपीलार्थी को राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का वितरण राशनकार्डधारक यूनिट रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ताओं को आधार कार्डो पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है। दिनांक 31.03.2020 को श्रीमती निर्मला चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक ने जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के यहां अपीलार्थी के विरूद्ध एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने एकतरफा आदेश द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर एक कारण बताओ नोटिस अपीलार्थी को जारी किया, जिसमें (1) उपभोक्ता सप्ताह के मध्य दुकान बंद पायी गई, इससे उपभोक्ताओं को राशन वितरण बाधित पाया गया। दुकानदार मौके पर मौजूद नही था एवं (2) नजदीक स्थित दुकान से सम्पर्क करने पर दुकान संचालन प्राधिकृत दुकानदार के स्थान पर अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाना बताया गया है। अपीलार्थी ने उक्त नोटिस में वर्णित दिनांक 24.08.2020 को जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसमें स्पष्ट किया कि नोटिस के बिन्दु संख्या 1 के संबंध में प्रार्थी का निवेदन है कि उक्त दिनांक को पडौस में मौत होने के कारण शवयात्रा में शामिल होने के कारण प्रार्थी को दुकान बंद करनी पडी। प्रार्थी अकेला ही दुकान चलाता है इसलिए उचित मूल्य दुकान बंद करके जाना पडा। भविष्य में उपभोक्ता सप्ताह के दौरान इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति नहीं होगी। नोटिस के बिन्दु संख्या 2 के संबंध में प्रार्थी का निवदेन है कि प्रवर्तन निरीक्षक को नजदीक स्थत दुकानदारों द्वारा प्राधिकृत दुकानदार के स्थान पर अन्य व्यक्ति द्वारा दुकान संचालन किये जाने की गलत सूचना दी गई। प्रार्थी स्वयं ही दुकान चलाता है तथा माल तौलने के लिये सहायक रखता है। नोटिस में वर्णित तिथि 24.08.2020 को ना तो जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के यहा उक्त प्रकरण में कोई तारीख पेशी थी ओर न ही पत्रावली तारीश पेशी पर आई। यद्यपि अपीलार्थी का जवाब लिपिक द्वारा ले लिया गया और कहा कि आगामी तारीख पेशी से सूचित कर दिया जायेगा, लेकिन जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा आगे की तारीख पेशी के लिये अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। दिनांक 27.08.2020 की आदेशिका में अपीलार्थी को मालूम हुआ कि उक्त प्रकरण के साथ एक अन्य प्रकरण संख्या 520/2020 की पत्रावली भी सम्मिलित कर दी गई तथा दिनांक 07.09.2020 को अपीलार्थी को बिना सुने जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जो रिपोर्ट एकतरफा में बनाई गई, फर्द मौका जिसके आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही संस्थित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया के साथ प्रतियां नहीं भेजी गई। जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की अवहेलना हुई है। जबकि कई न्यायिक निर्णयों में सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है जैसे AIR 2016 पटना 148 रामचन्द्र प्रसाद यादव बनाम स्टेट ऑफ बिहार व अन्य के प्रकरण में इसकी व्याख्या की गई है। जहां तक नोटिस में वर्णित अनियमितता संख्या 1 में वक्त निरीक्षण दुकान बंद पाये जाने का प्रश्न है, उसके संबंध में अपीलार्थी ने अपना जवाब पेश किया है कि उक्त दिनांक को पडौस में मौत होने के कारण शवयात्रा में शामिल होने के कारण उसकी दुकान बंद थी। उपरोक्त के संबंध में खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के निर्देश दिनांक 29.05.1997 के निर्देश क्रमांक 3 का यहां उल्लेख करना आवश्यक है ज्यो की त्यो इस प्रकार है कि " अपरिहार्य कारणों से समय पर दुकान न खोलने व बंद करने पर " उक्त तकनीकी त्रुटि के आधार पर उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता। उक्त के संबंध में न्यायिक

जिला कलक्टर
जयपुर

विनिश्चय 1997 (1) ई.एफ.आर. 160 संजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार व अन्य की व्याख्या की गई। जहां तक नोटिस दिनांक 31.07.2020 के बिन्दु संख्या 2 में वर्णित अनियमितता के संबंध में अपीलार्थी ने अपने प्रत्युत्तर में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी स्वयं दुकान चलाता है तथा माल तोलने के लिये अपना सहायक रखता है। खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के आदेश दिनांक 23.05.1988 में स्पष्ट किया गया है कि आदेश 1976 के खण्ड 8 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत खुदरा विक्रेता का नोकर, एजेन्ट आदि सभी को शामिल किया गया है। उक्त के संबंध में न्यायिक विनिश्चय 2010 (2) ई.एफ.आर. 592 उषा देवी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य की व्याख्या की गई। अपीलार्थी को जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने दिनांक 15.02.2020 को जो नोटिस जारी किया, उसमें अपीलार्थी के विरूद्ध यह आरोप लगाया कि "आप द्वारा श्री शेषनाथ कुशवाह के राशनकार्ड सख्या 119000310290 मे नरेश बावरिया का आधार कार्ड संख्या 228242193736 लगाकर माह अप्रेल 2019 में 50 किलोग्राम गेहूँ का अवैध आहरण किया गया है जो गबन की श्रेणी में आता है। अवैध रूप से निकाले गये 50 किलोग्राम गेहूँ की वर्तमान बाजार मूल्य 20/–प्रति किलोग्राम के हिसाब से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें। अपीलार्थी ने उक्त नोटिस का प्रत्युत्तर में जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के यहा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि " मेरी उचित मूल्य दुकान संख्या 287–ए के साथ उचित मूल्य दुकान संख्या 288 अटैच थी। मेरे द्वारा राशन सामग्री वितरण के दौरान राशनकार्ड संख्या 119000310290 का उपभोक्ता राशन सामग्री लेने आया और मेरे द्वारा पोस मशीन पर बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद उसको गेहूँ दे दिया गया। मेरे द्वारा आधार फीड नहीं किया गया है। यह आधार पूर्व से ही फीड था जिस पर मेरे द्वारा गेहूँ दिया गया। मेरे द्वारा हर बार उपभोक्ता का आधार कार्ड नही मांगा जाता है एवं मैने गेहूँ वितरण के समय राशनकार्ड में फीड आधारकार्ड पर गेहूँ दिया है। राशनकार्ड में लगा हुआ आधारकार्ड सही है या गलत है इसकी मुझे कोई जानकारी नही थी। अपीलार्थी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके द्वारा माह अप्रेल 2019 में उपभोक्ता को दिये गये 50 किलोग्राम गेहूँ की 27/–रूपये के हिसाब से 1350/–रूपये राजकोष में दिनांक 27.08.2020 को जरिये चालान नम्बर 42274379 द्वारा जमा कराये गये है। यह कि आदेश 1976 के प्रावधानों के तहत कोई भी प्राधिकारधारक विधि मान्य राशनकार्ड पर खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण करने को बाध्य है और वह इसके लिये मना नहीं कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनो नोटिसों में वर्णित अनियमितताओं के संबंध में कोई जांच नही की। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने अन्य अनेक मामलो में उपरोक्त प्रकार की अनियमितता के लिये केवल मात्र गेहूँ की कीमत जमा कराकर प्राधिकारधारक का प्राधिकार पत्र बहाल किया है। इस सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी के निम्न मामले–(1) प्रकरण संख्या 510/2019 निर्णय दिनांक 17.06.2020 उचित मूल्य दुकानदार श्री राजेश सोनी (2) प्रकरण संख्या 622/2020 निर्णय दिनांक 25.09.2020 उचित मूल्य दुकानदार श्री संजय कुमार मीणा (3) प्रकरण संख्या 588 सी/2020 निर्णय दिनांक 29.09.2020 उचित मूल्य दुकानदार श्री मैसर्स शिवरण सिह नरूका एवं (4) प्रकरण संख्या 536/2020 निर्णय दिनांक 26.06.2020 उचित मूल्य दुकानदार मैसर्स जगदीश प्रसाद पहाडिया उल्लेखनीय है। उक्तानुसार एक ही प्रकार के आरोप पर जहां उक्त उचित मूल्य दुकानदारों का प्राधिकार पत्र बहाल रखा गया है और उनसे गेहू की कीमत जमा कराली गई है, जबकि अपीलार्थी से गेहूं की राशि भी जमा करली और अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त करते हुये प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया, वह किसी प्रकार से न्यायोचित नही है। एक ही प्रकार के मामलो में दो अलग अलग निर्णय पारित नहीं किये जा सकते है। अतः अपीलार्थी की

जिला कलक्टर
जयपुर

अपील स्वीकार करने तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2020 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश फरमावें।

4. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की प्रकरण संख्या 614/2020 मे उचित मूल्य दुकानदार मैसर्स रामफूल मीणा दुकान संख्या 287–ए, द्वारा उपभोक्ता माह में गेहूं का उठाव व वितरण नही करना तथा प्रवर्तन निरीक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार दुकानदार स्वयं दुकान का संचालन नही किया जाना राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के अनुसार प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 7 का उल्लंघन है। दुकानदार द्वारा प्रस्तुत जबाब में निरीक्षण के दिन दुकान न खोलना स्वीकार किया है तथा माल तौलने के लिए सहायक रखना उल्लेखित किया है। इसके द्वारा स्वयं दुकान संचालन किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया । डीलर के इस कृत्य से उपभोक्ताओं को पारेशानी का सामना करना पडा है। प्रकरण संख्या 520/2020 में उचित मूल्य दुकानदार मैसर्स रामफूल मीणा दुकान संख्या 287–ए, द्वारा राशन कार्ड संख्या 119000310290 का उपभोक्ता को पास मशीन पर बायोमीट्रिक सत्यापन के बाद राशन सामग्री देने के बारे में तथा हर बार उपभोक्ता के आधार कार्ड का सत्यापन नहीं किए जाने के बारे में अवगत कराया है। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के अनुसार प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 17 के अनुसार रिकार्ड से गलत/झूठी प्रविष्टि कर खाद्यान्न का आहरण करना अनुचित है। एफपीएस की जिम्मेदारी होती है कि वह उपभोक्ता के राशन कार्ड में सही आधार कार्ड लिंक कर के गेंहू की सही सही निकासी करे। आधार कार्ड लिंक करने का कार्य भी डीलर द्वारा ही किया जाता है। उपभोक्ता के राशन कार्ड में परिवार के दीगर व्यक्तियों के आधार कार्ड को लिंक करके गेहूं की प्रतिमाह अवैद्य निकासी राशनडीलर की संलिप्ता के बिना संभव नही है। डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

5. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

6. अपीलार्थी पर प्रकरण संख्या 614/2020 में दुकान संख्या 287 ए जयपुर शहर पर उपभोक्ता सप्ताह के मध्य दुकान बन्द पाई जाने तथा दुकान का संचालन अन्य व्यक्ति द्वारा किये जाने का आरोप है। दुकान बन्द होने का कारण पडोस में मौत होने से शव यात्रा में शामिल होने से एक दिन दुकान बन्द रहना बताया है। अपरिहार्य कारणों से दुकान बन्द रह सकती है। आरोप संख्या 2 दुकान का अन्य के द्वारा संचालन करना जाहिर किया है, परन्तु अपीलार्थी ने इसका खण्डन कर के दुकान पर माप तौल के लिए सहायक रखना जहिर किया है। सहायक रखने पर काई पाबन्दी नही है। दोनों ही आरोप गम्भीर श्रेणी में नही आते है।

7. दूसरे प्रकरण संख्या 52/2020 में शेषनाग कुशवाह के राशनकार्ड संख्या 119000310290 में नरेश बावरिया का आधारकार्ड संख्या 228242193736 लगा कर माह अप्रेल 2019 में 50 किलो ग्राम गेहूं का अवैद्य आहरण किये जाने की अनियमितता का आरोप है। उपभोक्ता उचित मूल्य दुकानदार के पास राशनकार्ड व आधार कार्ड लेकर राशन सामग्री लेने आते है। जिनका पोस मशीन द्वारा सत्यापन करने

जिला कलक्टर
जयपुर

के पश्चात ही सामग्री दी जाती है। राशन कार्ड संख्या 11900031029O पर सामग्री लिये जाने पर उसके मुखिया को वस्तुस्थिति की जांच करने के लिए तलब नहीं किया गया है। आधारकार्ड सक्षल मिलना नहीं पाया गया है और न ही आधार कार्ड को फर्जी सिद्ध कर पाये है। राशनकार्डों पर अन्य के आधार कार्ड किस के द्वारा कब लिंक किये गये, इसकी कोई जांच नहीं की गई। राशनकार्ड धारक को एवं जिनके आधार कार्ड गलत लिंक किये गये है, उनसे कोई जांच नहीं की गई, न ही उनके बयान लिये गये। इस बात की भी जांच नहीं की गई कि क्या एक ही आधार कार्ड से दो बार गेहूं उठाये गये है ? आधारकार्ड अटैच की गई एफ पी एस की पोश मशीन से राशन कार्ड के लिंक होने के कारण उठाया गया है, तो यह भी जांच का विषय है कि पूर्व एफ पी एस डीलर द्वारा आधार गलत लिंक किये है या वर्तमान एफ पी एस डीलर के द्वारा ? यह भी जांच का विषय है, की क्या आधारकार्ड किसी डीलर द्वारा लिंक किये गये है या किसी ई मित्र केन्द्र द्वारा। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच प्रोपर तरीके किया जाना नहीं पाया गया है। ऐसे मामले कई उचित मूल्य दुकानों पर पाये गये है जिनमें से कुछ मामलों में केवल गेहूं की राशि जमा कर छोड दिया गया जबकि अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर समस्त प्रतिभूति राशि भी जब्त सरकार कर ली गई। इस प्रकार एक ही तरह की अनियमिता के मामलों में जिला रसद अधिकारी द्वारा अलग अलग सजा से दण्डित किया गया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्को से सहमत है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व आदेश दिनांक 09.09.2020 को निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है।

9. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई अनियमितता मानते है, तो प्रकरण में संबंधित राशनकार्डधारी उपभोक्ता एवं आधारकार्डधारी के बयान लेकर संबंधित राशनकार्ड एवं आधारकार्ड की जांच करें। आधार कार्ड गलत लिंक किये गये है या नहीं एवं यदि गलत लिंक किये गये है तो किसके द्वारा आदि तथ्यों की पैरा 10 में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर जांच करें एवं अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे।

10. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली वाद तकनील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

11. निर्णय आज दिनांक 04.03.2021 को सरे इजलास सुना गया ।

4/3/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर